संख्या-12/2016/611-57-2024-1663-2023

प्रेषक,

रघुवीर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग **लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय:- **जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 35 सार्वजनिक शौचालयों एवं यूटिलिटीज के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-74/अयो0वि0प्रा0/2023-24, दिनांक 05.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या के नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 35 सार्वजनिक शौचालयों एवं यूटिलिटीज के निर्माण हेतु धनराशि रू0 1562.05 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या-I/507190/2024, दिनांक 28.02.2024 द्वारा 1300 वर्गफिट के 01 टायलेट ब्लाक की लागत रू0 46.46 लाख तथा 900 वर्गफिट के 01 टायलेट ब्लाक की लागत रू0 42.19 लाख मानकीकृत की गयी है।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में 35 विभिन्न स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों एवं यूटिलिटीज के निर्माण हेतु प्रति शौचालय की मानकीकृत लागत की दर से धनराशि रू0 1562.05 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ बासठ लाख पाँच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि की एकमुश्त वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं-

क्र0	स्थल का नाम	टायलेट ब्लाक की संख्या	टायलेट ब्लाक का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	मानकीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	सूर्या पैलेस चौराहा हाइवे	1	1300.00	46.46
2	मल्टीप्लेक्स पार्किंग के बगल हाइवे	1	1300.00	46.46
3	मल्टीप्लेक्स पार्किंग के 10 मीटर आगे हाइवे	1	1300.00	46.46
4	रेलवे ओवर ब्रिज के बायें	1	1300.00	46.46
5	रेलवे ओवर ब्रिज के दायें	1	1300.00	46.46
6	राज ग्लोबल स्कूल के तिराहे के पास	1	1300.00	46.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	रघुकुल रेस्टोन्ट के पास बूथ नं0-4	1	1300.00	46.46
8	मोहबरा अण्डर पास के पास	1	1300.00	46.46
9	पलिया साहबदी पंचायत घर के पास	1	1300.00	46.46
10	मणिपर्वत के पास	1	1300.00	46.46
11	साकेत महाविद्यालय सभागार के बगल	1	1300.00	46.46
12	होटल रामेश्वरम् के सामने	1	1300.00	46.46
13	रेलवे ओवर ब्रिज के बगल (रामघाट हाल्ट)	1	1300.00	46.46
14	अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के सामने	1	1300.00	46.46
15	आर0टी0ओ0 ऑफिस के पास अवधपुरी	1	1300.00	46.46
16	मऊ शिवाला बाजार से पहले	1	1300.00	46.46
17	डाभा सेमर मसौधा ब्लॉक	1	1300.00	46.46
18	राजकीय कृषि बाजी मण्डार के पास मसौधा ब्लॉक	1	1300.00	46.46
19	फटिक शिला मोड़	1	1300.00	46.46
20	बिड़ला धर्मशाला के पास	1	1300.00	46.46
21	काशीराम कालोनी एम0आर0एफ0 के सामने	1	900.00	42.19
22	पुलिस लाइन डम्पिंग प्लेटफार्म के पास	1	900.00	42.19
23	सहादतगंज अण्डर पास	1	900.00	42.19
24	जनौरा पक्का तालाब कम्युनिटी सेन्टर के पास	1	900.00	42.19
25	परिक्रमा मार्ग आकाश वाणी के पास	1	900.00	42.19
26	सूरज कुण्ड के पास पूरब दिशा	1	900.00	42.19
27	उदया चौराहा पेट्रोल पम्प के सामने	1	900.00	42.19
28	जालपा मंदिर के बगल	1	900.00	42.19
29	पराग डेयरी के बगल	1	900.00	42.19
30	कच्चाघाट अप्पूघर के बगल	1	900.00	42.19
31	सन्त तुजसीदास घाट अयोध्या	1	900.00	42.19
32	डूडा कॉलोनी	1	900.00	42.19
33	सिविल लाइन भारत पेट्रोल पम्प	1	900.00	42.19
34	वैतरणी परिक्रमा मार्ग के पास	1	900.00	42.19
35	दन्त धावन कुण्ड चौराहा पानी टंकी के पास	1	900.00	42.19
		35	**योग**	**1562.05**

4- उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होंगी:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य कार्यालय प्रमुख अभियन्ता , मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के द्वारा प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित मानचित्र एवं ड्राइंग के दृष्टिगत ही कराया जाय। मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुमोदित मानचित्र एवं ड्राइंग की प्रतियां कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (भवन वर्ग), लो0नि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2827/194(6)/बी0पी0विंग/2023, दिनांक 15.12.2023 के साथ संलग्न है।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या एवं जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन / कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग भी की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसे रोकने का दायित्व कार्यदायी संस्था सहित जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(8) लेबरसेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(12) नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(14) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का कार्यदायी संस्था द्वारा यदि कोई ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(16) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वाराणसी से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,62,05,000 (रुपये पंद्रह करोड़ बासठ लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक** 4250008000800 अयोध्या में पब्लिक एम्नेटीज एवं पार्किंग तथा जनसुविधा का विकास **मानक मद** 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-12/2016/611-57-2024-1663-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
7- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
8- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।